भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2086

सोमवार, 24 दिसम्बर, 2018/3 पौष, 1940 (शक)

बाल श्रम का उन्मूलन

2086. श्री राम चरण बोहरा:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सख्त बाल श्रम कानूनों के प्रचलन के बावजूद सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की फैक्टरियों सहित देश के विभिन्न भागों में अभी भी बाल श्रमिकों का शोषण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का प्रत्येक बालक का विद्यालय में नामांकन सुनिश्चित करने की दृष्टि से श्रम अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने सहित बाल श्रम कानूनों में संशोधन करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में बाल श्रम के उन्मूलन के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): बाल श्रम विभिन्न सामाजिक-आर्थिक समस्याओं जैसे गरीबी, आर्थिक पिछड़ापन, बुनियादी सेवाओं की उपलब्धता की कमी, निरक्षरता आदि का परिणाम है। 2011 की जनगणना के अनुसार, देश में 5-14 वर्ष के आयु वर्ग के 43.53 लाख मुख्य कामगार हैं। राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

(ग) से (ङ): सरकार ने बाल श्रम(प्रतिषेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 का अधिनियमन किया है जो 1.9.2016 से लागू हुआ। इस संशोधन अधिनियम में किसी भी व्यवसाय और प्रक्रिया में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों तथा जोखिमपूर्ण व्यवसायों और प्रक्रियाओं में 14 से 18 वर्ष के आयु समूह के किशोरों के काम या नियोजन के पूर्ण निषेध का प्रावधान है। इस संशोधन से अधिनियम के उल्लंघन पर नियोजकों के लिए कड़े दण्ड का भी प्रावधान है तथा अपराध को संज्ञेय बनाया गया है।

जारी...2/

बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 में संशोधन के माध्यम से विधायी ढ़ांचे को सशक्त करने के बाद, सरकार ने बाल श्रम(प्रतिषेध एवं विनियमन) संशोधन नियम, 2017 बनाया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अधिनियम के उपबंधों का कारगर प्रवर्तन सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकारों और जिला प्राधिकरणों के कर्तव्य और दायित्व उल्लिखित हैं। सरकार ने प्रशिक्षकों, पेशेवरों तथा प्रवर्तन एवं निगरानीकर्ता एजेन्सियों के आशु परिकलक (रेडिरेकनर) के रूप में मानक परिचालन कार्यप्रक्रिया(एसओपी) भी तैयार की है।

सरकार बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना(एनसीएलपी) स्कीम का कार्यान्वयन भी कर रही है। इस स्कीम के अंतर्गत 9-14 वर्ष के आयु समूह के काम से बचाए गए/छुड़ाए गए बच्चों को एनसीएलपी विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों में नामांकित किया जाता है, जहां उन्हें औपचारिक शिक्षा पद्धति की मुख्यधारा में लाने से पहले समायोजी शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मध्याह्न भोजन, वजीफा, स्वास्थ्य देखरेख, आदि उपलब्ध कराई जाती है।

बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के उपबंधों का प्रभावी प्रवर्तन तथा एनसीएलपी स्कीम का सुचारु कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एक अलग ऑनलाइन पोर्टल पेन्सिल(बाल श्रम मुक्ति हेतु प्रभावी प्रवर्तन के लिए मंच) विकसित किया गया है।

* *****

अनुबंध-I

बाल श्रम का उन्मूलन से संबंधित श्री राम चरण बोहरा द्वारा पूछे गए दिनांक 24.12.2018 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2086 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

2011 की जनगणना के अनुसार 5-14 वर्ष के आयु वर्ग के मुख्य कामगारों का राज्यवार ब्यौरा:

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नाम	5-14 वर्ष के आयु वर्ग के मुख्य कामगारों की संख्या
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप	999
2.	आंध्र प्रदेश **	404851
3.	अरुणाचल प्रदेश	5766
4.	असम	99512
5.	बिहार	451590
6.	चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र	3135
7.	छत्तीसगढ़	63884
8.	दादरा और नागर हवेली	1054
9.	दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र	774
10.	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	26473
11.	गोवा	6920
12.	गुजरात	250318
13.	हरियाणा	53492
14.	हिमाचल प्रदेश	15001
15.	जम्मू-कश्मीर	25528
16.	झारखंड	90996
17.	कर्नाटक	249432
18.	केरल	21757
19.	लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र	28
20.	मध्य प्रदेश	286310
21.	महाराष्ट्र	496916
22.	मणिपुर	11805
23.	मेघालय	18839
24.	मिजोरम	2793
25.	नागालैंड	11062
26.	ओडिशा	92087
27.	पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र	1421
28.	पंजाब	90353
29.	राजस्थान	252338
30.	सिक्किम	2704
31.	तमिलनाडु	151437
32.	त्रिपुरा	4998
33.	उत्तर प्रदेश	896301
34.	उत्तराखंड	28098
35.	पश्चिम बंगाल	234275
	कुल	4353247

** तेलंगाना सहित।

*****